**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1681

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**निःशक्त छात्रों को छूट के लिए सीबीएसई का प्रस्ताव**

**1681. श्री टी॰ रतिनावेलः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने निःशक्त छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष छूट प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीबीएसई ऐसे छात्रों के लिए परीक्षा को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है;

(ग) क्या सीबीएसई ने ऐसे छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍यपाल सिंह)**

(क): केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सूचित किया है कि उसने इस संबंध में अपने संबद्ध स्‍कूलों को “निशक्‍तजन अधिकार (आरपीडब्‍ल्‍यूडी) अधिनियम, 2016” के अनुसार बैंचमार्क निशक्‍तता वाले व्‍यक्तियों को दी जाने वाली छूटों/रियायतों की सूची बनाने के संबंध में पहले ही अनुदेश जारी किए हैं।

(ख): जी नहीं।

(ग) और (घ): जी, हां। सीबीएसई ने अपने दिनांक 26.09.2018 के परिपत्र संख्‍या सीबीएसई/सीओओआरडी/112233/2018 दिनांक 26.11.2018 के शुद्धिपत्र सं. सीबीएसई/सीओओआरडी/2018/112233 और दिनांक 05.11.2018 की अधिसूचना संख्‍या सीबीएसई/सीओओआरडी/डीएस/2018 के माध्‍यम से भिन्न रूप से सक्षम अभ्‍यर्थियों को दी जाने वाली छूटों/रियायतों के लिए दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। इन परिपत्रों/अधिसूचनाओं को सीबीएसई की वेबसाइट (http://cbse.nic.in) पर देखा जा सकता है।

**\*\*\*\*\***